स्पीड पोस्ट द्वारा

फा. सं. 25013/43/2014-पी एम-।।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(पी एम-।। अनुभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड,

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री ऋषि गुप्ता,
मकान सं. 1857,
न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
पानीपत-132103
हरियाणा

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपकी दिनांक 26.06.2014 की अपील के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना मंत्रालय के दिनांक 13.06.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। यह भी सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22.09.2006 के निर्णय के बारे में एक स्थिति-परक नोट गृह मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट (www.mha.nic.in) पर "भारत में पुलिस सुधारों के बारे में स्थिति-परक नोट" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

2. तदनुसार आपकी अपील का निपटान किया जाता है।

भवदीया

(वीणा कुमारी)
संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) एवं
प्रथम अपील प्राधिकारी

श्री ऋषि गुप्ता की दिनांक 26.06.2014 की अपील की प्रति के साथ प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-I-आई आर में निहित निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

Ro62-PM-II/RTI/14
दिनांक-26.06.2014

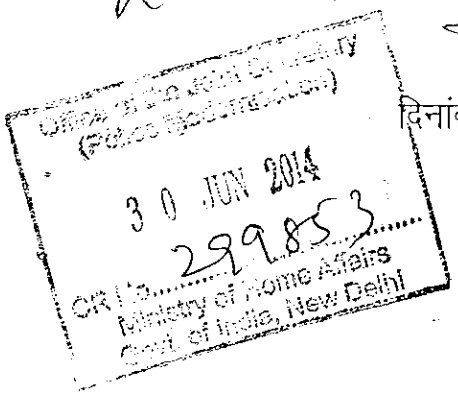

Office of the Joint Secretary (Police Modernisation)
30 JUN 2014
CR No. 229853
Ministry of Home Affairs
Govt. of India, New Delhi

दी फस्ट एपीलेन्ट अथोरीटी
श्रीमति वीना कुमार मीणा, संयुक्त सचिव
(पुलिस आधुनिकीकरण) जैसेलमेर हाउस-26
मानसिंह रोड़, नई दिल्ली-110011

मान्यवर,

मेरे द्वारा दिनांक 10.05.2014 को को सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गृह मन्त्रालय, भारत सरकार से मांगी गई सुचना के सन्दंभ में प्राप्त सूचना सही नही है। मांगी गई सूचना 22 सितम्बर 2006 को जो आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के सन्दर्भ में दिया था के बारे में थी।

मैडम, मुझे कोई मतलब नही कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 सितम्बर 2006 तक कितने आयोगों अथवा कमेटियों का गठन किया और उन आयोगों एवं कमेटियों ने पुलिस सुधारों के बारे में क्या सिफारिश दी। कृप्या मुझे सही जानकारी दी जाये कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 22 सितम्बर 2006 को जो आदेश पारित किया। पर अभी तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने पुलिस सुधारों के लिए क्या कार्यवाही की है।

कृप्या मातृ भाषा हिन्दी में जवाब दें।

धन्यवाद। R.G. Gupta

सलंग्नः-

1. दिनांक 10.05.2014 के पत्र की कापी।
2. गृह मन्त्रालय द्वारा प्राप्त की गई पत्र की कापी।
3. श्री एस.डी. शर्मा द्वारा सुचना अधिकार अधिनियम के तहत भेजी गई सूचना के पत्र की कापी।

JS(PM)
DIR(PMR)
1/7/14
US(PM II)
SOPM II

ऋषि गुप्ता
म.न. 1857, न्यु हाउसिंग बोर्ड कालोनी
पानीपत-132103

(11)

Delv 12.5.14

गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लाक
केन्द्रीय सचिवालय
नई दिल्ली –110001

विषय :– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाई जाये ।

मान्यवर मुझे जानकारी दी जाये कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को भारत के उच्चतम न्यायलय नें दिनांक 22 सितम्बर 2006 को जो जजमैन्ट एवं निर्देश देकर केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों को यह कहा था कि आप अंग्रेजों के समय की आई.पी.सी. एक्ट 1861 में देश के मौजूदा हालात और विकास के हिसाब से पुराने पुलिस कानून को बदलें । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने पुलिस रिर्फाम पर अभी तक लोकसभा में बिल प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया और इसके लिए देरी का कारण भी बताया जायें और इस बारें अभी तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इस बारें में क्या प्रगति की है । क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकारों के विलम्ब की वजह से देश की आम जनता पर पुलिस द्वारा पिछले 8 सालों में लाखों फर्जी मुकद्दमें डाले गये है जिससे न्यायालयों पर भी काम का बोझ बढ़ा है और आम भारतीय नागरिकों का उत्पीडन किया जा रहा है और जब तक कानून में सुधार या बदलाव नहीं किया जाता यह उत्पीडन होता रहेगा ।

Rishi Gupta

दिनांक 10.05.2014

प्रार्थी
रिषी गुप्ता
मकान नं 1857,
न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
पानीपत

सलंग्न :– रूप्ये 50 के पोस्टल आर्डर 776697513।

स्पेशल निवदेन यह है कि आप मातृभाषा हिन्दी में ही जवाव दें ।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 27/05/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ रश्मी गुप्ता ....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ रश्मी गुप्ता ....के दिनांक: / /2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक: 13 / 05 /2014 को प्राप्त) को..........पी.एम. आर.... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 16 / 05 /2014 की रसीद सं......29736........के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सम्पत

(एस. सम्पत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

..........निदेशक (पीएमआर)

..........गृह मंत्रालय

..........जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~......रश्मी गुप्ता

......म.सं. मकान 1857

......न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पानीपत (हरियाणा)

....

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

SO PM II

स्पीड पोस्ट द्वारा

(13)

सं. 25013/43/2014-पी एम.।।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2014

सेवा में
श्री ऋषि गुप्ता,
मकान नं. 1857, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
पानीपत, हरियाणा

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 27.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत उनके माध्यम से प्राप्त अपने दिनांक 10.05.2014 के आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें।

2. पुलिस के कार्य संचालन में सुधार करने के उद्देश्य से पिछले तीन दशकों के दौरान अनेक उच्च स्तरीय समितियां और आयोग गठित किए गए थे। तत्पश्चात पूर्व में गठित विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2004 में गृह मंत्रालय द्वारा एक समीक्षा समिति गठित की गई। समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को एक पेशेवर सक्षम और सेवा उन्मुखी संगठन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में 49 महत्वपूर्ण सिफारिशें निर्धारित कीं।

3. चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए पुलिस सुधार संबंधी विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार करने के बारे में राज्य सरकारों से समय-समय पर आग्रह करने का निरंतर प्रयास करता रहा है।

4. इस बारे में समीक्षा समिति सहित विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थीं।

5. समीक्षा समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश पुरातन पुलिस अधिनियम, 1861 के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम लाने से संबंधित थी। गृह मंत्रालय ने मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सितम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति (सोली सोराब जी समिति) का गठन किया। उक्त समिति ने 30 अक्तूबर, 2006 को मॉडल अधिनियम प्रस्तुत किया। तदनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया मॉडल पुलिस अधिनियम 31 अक्तूबर, 2006 को सभी राज्य

(14)

सरकारों को भेजा गया। अब तक 16 राज्य सरकारों ने मॉडल पुलिस अधिनियम की तर्ज पर अपने पुलिस विधानों की पुनर्संरचना की है/उन्हें आशोधित किया है (14 राज्य सरकारों, अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने अपना पुलिस अधिनियम तैयार कर लिया है और 2 राज्य सरकारों अर्थात् गुजरात और कर्नाटक ने अपने मौजूदा पुलिस अधिनियम में संशोधन किया है)।

6. पुलिस सुधारों/किसी विशेष राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए राज्य पुलिस अधिनियम का ब्यौरा उनसे प्राप्त किया जा सकता है।

7. इसके अतिरिक्त इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 21.04.2006 के आदेश सं. सी ए सी/80/ए टी/2006/00045 के अनुसार 'क्यों, क्या, कहां और क्या' जैसे प्रत्ययों से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के दायरे में नहीं आते हैं।

8. यह सूचित किया जाता है कि पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग, गृह मंत्रालय के संबंध में अपील प्राधिकारी श्रीमती वीना कुमार मीणा, संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 हैं।

भवदीय

सोम दत्त शर्मा 13/6/14

(एस. डी शर्मा)
निदेशक (पी एम आर) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि: श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई सैल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 27.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।